खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

विज्ञप्ति

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, द्वारा विभागांतर्गत संचालित योजनाओं के कम्प्यूटराईजेशन के अनुश्रवण एवं प्रबंधन आदि के लिये खाद्य संचालनालय, भोपाल में उपसंचालक के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु केंद्र/राज्य सरकार एवं राज्य सरकार के उपक्रमों में कार्यरत इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदकों के लिए अर्हता, सेवा शर्तें, वेतन, आवेदन का प्रारूप इत्यादि जानकारी विभागीय वेबसाइट WWW.food.mp.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। प्रतिनियुक्ति हेतु इच्छुक अधिकारियों से आवेदन संचालनालय, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, विन्ध्याचल भवन, भोपाल में कार्यालयीन समय में प्राप्त किए जावेंगे।

प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10.09.2018 है, इसके पश्चात् प्रस्तुत आवेदनों को विचारण में नहीं लिया जावेगा।

20/08/18

संचालक,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,
मध्यप्रदेश

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

1. उपसंचालक के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु चयन की शर्तें

1. प्रतिनियुक्ति पर चयन केंद्र/राज्य सरकार एवं राज्य सरकार के उपक्रमों में कार्यरत अधिकारियों में से किया जावेगा।
2. अधिकारी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता– सूचना–प्रौद्योगिकी अथवा कम्प्यूटर साईंस में स्नाकोत्तर उपाधि तथा किसी विभाग की कम्प्यूटराईजेशन संबंधी योजना अंतर्गत न्यूनतम 3 वर्ष का कार्यानुभव हो।
3. मूल विभाग में न्यूनतम 5 वर्ष से सेवारत हो।
4. अधिकतम आयु 50 वर्ष से अधिक न हो। अर्हता, आयु सीमा तथा अनुभव इत्यादि के संबंध में वर्षों की गणना विज्ञापन जारी होने के दिनांक से की जावेगी।
5. आवेदित अधिकारी के विगत 05 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों के आधार पर मूल्यांकन किया जावेगा।
6. आवेदक के विरूद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण/अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलन में नहीं होना चाहिए।

2. उपसंचालक के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु सेवा शर्तें

1. चयनित लोक सेवक की सेवाएं विभागांतर्गत प्रतिनियुक्ति पर 02 वर्ष की अवधि के लिए रहेंगी, जिसे म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों के अध्यधीन रहते हुए, प्रतिनियुक्ति सेवा प्रदान करने वाले एवं प्राप्त करने वाले विभाग की आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकेगा।
2. प्रतिनियुक्ति पर सातवें वेतनमान के मैट्रिक्स लेवल 13 अनुसार वेतन (छठवें वेतनमान में रू. 15,600–39,600+6600 ग्रेड पे अनुसार) देय होगा। प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी को उक्त वेतनमान अनुसार मूल विभाग में प्राप्त हो रहा वेतनमान देय होगा अर्थात् अलग से वेतन निर्धारण नहीं किया जायेगा।
3. दोनों विभागों की सहमति उपरान्त आदेश जारी किए जाने पर मूल विभाग द्वारा लोक सेवक को कार्यमुक्त किए जाने की कार्यवाही की जाएगी।
4. प्रतिनियुक्ति पर लिये गये अधिकारी को उपसंचालक पद के लिये राज्य सरकार द्वारा देय भत्ते आदि की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते जो कि मूल विभाग में प्राप्त हो रहे हैं परंतु म.प्र. शासन में लागू नहीं है, के संदर्भ में म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनियुक्ति संबंधी नियम लागू होंगे।
5. प्रतिनियुक्ति पर लिये गये अधिकारी को विभाग के स्वीकृत पद के विरूद्ध संविलियन नहीं किया जायेगा, रिक्त पद की पूर्ति होने पर सेवाएं वापस की जा सकेंगी।
6. प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्तों के संबंध में म.प्र. शासन वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।
7. प्रतिनियुक्ति की अवधि के भीतर प्रतिनियुक्ति समाप्त की जाना होगी तो दोनों विभागों के आपसी परामर्श से प्रतिनियुक्ति समाप्त की जा सकेंगी, परन्तु प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर समय से पूर्व कारणों का उल्लेख करते हुए सेवाएं मूल विभाग को सौंप दी जाएंगी।
8. प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी पर प्रतिनियुक्ति अवधि में केंद्र/राज्य शासन द्वारा जारी एवं तत्समय प्रभावशील आचरण नियम लागू होंगे।

संचालक
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
मध्यप्रदेश, भोपाल

आवेदन पत्र का प्रारूप

फोटो

1. आवेदक का नाम ....
2. पिता का नाम ....
3. जन्मतिथि ....
4. मूल विभाग का नाम तथा पता ....
....
5. मूल विभाग में धारित पद ....
6. वर्तमान पदस्थापना स्थल ....
7. वर्तमान वेतनमान (सातवें वेतनमान अनुसार) ....
8. शैक्षणिक अर्हता ....
   1. स्नातकोत्तर ....
   2. विशेषज्ञता(सूचना प्राद्यौगिकी / कम्प्यूटर साईंस) ....
   (अंकसूची, प्रमाण--पत्र की सत्यापित प्रति सलंग्न करें)
9. मूल विभाग में कम्प्यूटराईजेशन कार्यानुभव (प्रमाण–पत्र / दस्तावेज की सत्यापित प्रति सलंग्न करें) ....
10. मूल विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें ....
11. विभागीय ज़ांच / आपराधिक प्रकरण नहीं होने का स्वघोषणा पत्र संलग्न करें। ....
12. पत्र व्यवहार का पता ....

मैं शपथपूर्वक कहती / कहता हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान से पूर्णतः सत्य है। किसी भी जानकारी के असत्य पाए जाने पर मेरी प्रतिनियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावे।

दिनांक

भवदीय

(आवेदक)